सार-समाचार

वंदेमातरम मामले में पुलिस कार्रवाई शुरू, कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख को बुलाया थाने, की पूछताछ लिए बयान

इन्दौर । कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख और रूबीना खान द्वारा निगम बजट बहस में दिए बयानों के बाद उपजे वंदेमातरम मुद्दे पर शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है जिसके चलते पार्षद फौजिया शेख को आज एम जी रोड थाने बुलवाकर उससे पूछताछ की गई इस दौरान उसके बयान भी दर्ज किए गए। मामले में अब कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल को भी पूछताछ और बयान के लिए बुलाया जाएगा। एसीपी विनोद दीक्षित के अनुसार भाजपा पार्षद दल के आवेदन पर जांच शुरू करते कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम को एमजी रोड थाने पर पूछताछ और बयान के लिए बुलवाया था। करीब चार घंटे तक उनसे पूछताछ चली। जिसमें उस दिन हुए घटनाक्रम के बारे में जानने के साथ ही उसी दिन के वीडियो को भी देखा गया। एसीपी विनोद दीक्षित, टीआई विजय सिंह सिसौदिया और महिला पुलिसकर्मी ने पार्षद फौजिया शेख से पूछताछ की और उसके कथन लिए। एसीपी विनोद दीक्षित के अनुसार अब इस मामले में कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल से भी पूछताछ की जाएगी।

फर्जी बैंक गारंटी मामले में आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

इन्दौर । विशेष जज सीबीआई रूपम वैदिक की कोर्ट ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में आरोपी मनोज बाबरिया निवासी सूरत, गुजरात की अग्रिम जमानत अर्जी सीबीआई के तर्कों से सहमत होकर निरस्त कर उसे जमानत देने से इंकार कर दिया। मप्र जल निगम के एक प्रोजेक्ट में करोड़ों की फर्जी बैंक गारंटी पेश करने के आरोपी मनोज बाबरिया की जमानत अर्जी का विरोध करते सीबीआई द्वारा तर्क देते कोर्ट को बताया कि आरोपी प्रकरण में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं होगा। सीबीआई के तर्क से सहमत हो कोर्ट ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

नारी आरक्षण विधेयक पर समूह चर्चा का आयोजन

इंदौर। स्टेट प्रेस क्लब, मप्र की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) को लेकर एक महत्वपूर्ण समूह चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। यह चर्चा मंगलवार, 14 अप्रैल 2026 को अभिनव कला समाज सभागार में होगी। दोपहर में अल्पाहार के बाद समूह चर्चा शाम 4:30 बजे शुरू होगी। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य संसद में सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम की गहराई से समीक्षा करना है। वर्तमान में केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 को संसद का विशेष सत्र बुला रही है, जिसमें महिला आरक्षण कानून में संशोधन संबंधी दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इन विधेयकों के माध्यम से लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर लगभग 816 करने और 2029 के लोकसभा चुनाव से ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है।

विश्व स्वास्थ्य सप्ताह कार्यक्रम अंतर्गत विशिष्ट सदस्यों का सम्मान

इंदौर । रविवार को नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन शाखा इंदौर के सम्माननिय विशिष्ट तीन सदस्यों का सम्मान समारोह एवं सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन डॉ ओ पी कनकने के संयोजन एवं हिमालया वैलनेस कंपनी के सहयोग से होटल चोटीवाला में दोपहर सहभोज आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ महेश गुप्ता जी(प्रांताध्यक्ष NIMA MP,) मुख्य अतिथि डॉ माधव प्रसाद हसानी जी (मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी इंदौर,) अतिथि वक्ता डॉ नवीन खेड़े जी (हिमालया वैलनेस कंपनी)थे ।कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासिन उपस्थित सम्माननीय अतिथियों द्वारा भगवान धनवंतरी जी को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से कर अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया । तत्पश्चात ....सम्मानित वरिष्ठ सदस्यों डॉ यशवंत कुमार गोयल जी, डॉ चेतन सेठिया जी, डॉ नरेंद्र शर्मा जी को सम्माननीय मंच द्वारा साल ,श्रीफल एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया।अतिथि स्वागत शाखा अध्यक्ष डॉ सुरेश ढोलवे द्वारा किया गया।मुख्य अतिथि द्वारा सरकारी योजनाओं के विषय में बताया गया।कार्यक्रम अध्यक्ष द्वारा हृद्धकूर्संस्था के विषय में जानकारी दी गई।सम्मानित वरिष्ठ सदस्यों का परिचय पत्र वाचन डॉ लोकेश जोशी (कार्याध्यक्ष मालवा प्रांत आरोग्य भारती) द्वारा किया गया।अतिथि वक्ता द्वारा शारीरिक प्रतिरक्षा कैसे बढ़ाएं विशेषतः स्वशन तंत्र पर व्याख्यान दे सेप्टलिन एवं ब्रोजाल की उपयोगिता बताई गई, प्रो.डॉ धर्मेन्द्र जी शर्मा द्वारा बच्चों में प्रतिरक्षा कैसे बढ़ाएं विशेषतः त्रिकटु द्वारा बताया गया।अतिथियों को स्मृति चिह्न प्रदान किया गया।कार्यक्रम का संचालन चिकी. सचिव डॉ सतीश अग्रवाल जी द्वारा,अंत में शाखा सचिव डॉ नागेंद्र प्रसाद जायसवाल द्वारा आगामी कार्यक्रम की जानकारी दे सभी उपस्थित अतिथियों , सम्मानित वरिष्ठ सदस्यों, शाखा के उपस्थित सदस्यों, हिमालया वैलनेस कंपनी आदि सभी का संस्था की तरफ से आभार व्यक्त किया गया।

शराब के लिए किया घायल

इंदौर। चंदननगर इलाके में दो बदमाशों ने एक व्यक्ति को धमकाते हुए शराब पीने के लिए रुपए मांगे। मना करने पर आरोपियों ने उसे जमकर पीटा और पत्थर से सिर फोड़कर घायल कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गए। थाना चंदननगर पुलिस के मुताबिक अड़ीबाजी की वारदात जिला अस्पताल गेट से लगी पान की दुकान के पास हुई। घायल का नाम राजेश पिता शिशुपाल यादव निवासी डेरी कालोनी धार रोड है। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी संदीप यादव पिता कैलाश निवासी गडरिया मोहल्ला और दीपक पिता मोहनलाल निवासी द्वारकापुरी है।

10 मंजिला बिल्डिंग में हुई घटना ...

छठे माले के फ्लैट में लगी आग, मचा हड़कंप

इंदौर (नगर संवाददाता)। सोमवार की अलसुबह शहर के निरंजनपुर स्थित 10 मंजिला हरसिंगार मल्टी छठे मामले पर स्थित एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। इसके कारण पूरी इमारत में धुआं फैल गया, जिससे ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग कुछ देर के लिए फंस गए थे।

मौके पर पहुंचे फायरब्रिगेड के कर्मियों ने मशक्कत कर जहां आग पर काबू पाया, वहीं लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला। फायर ब्रिगेड को आज सुबह करीब 6 बजे आग की सूचना मिली थी। आग छठी मंजिल पर स्थित रवि मालवीय के फ्लैट में लगी थी। बेडरूम के पास वाले कमरे में एक बड़ी मसाज मशीन और घरेलू सामान रखा हुआ था। एएसआई सुशील दुबे के मुताबिक, संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिससे कमरे की पीओपी की दीवारें भी क्षतिग्रस्त गईं और सामान ने आग पकड़ ली।हादसे के समय रवि मालवीय अपनी बीमार पत्नी के साथ पास के ही सो रहे थे। धमाके की आवाज सुनते ही दोनों घबराकर जागे। रवि ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत अपनी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला और शोर मचाकर अन्य रहवासियों को सतर्क किया।

फायर ब्रिगेड को करना पड़ी मशक्कत

धुएं के कारण ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग भी घबरा गए थे, लेकिन समय रहते सभी सुरक्षित नीचे आ गए।आग इतनी भीषण थी कि सातवीं मंजिल पर रहने वाली कल्पना बेदी के फ्लैट की गैलरी और खिड़कियों के कांच भी धमाके के दबाव से टूट गए। संकरी जगह और ऊंचाई होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

पाइप जोड़े फिर पहुंचाया पानी

टीम ने लगभग पांच हौज पाइप आपस में जोड़कर सीढ़ियों के रास्ते छठी मंजिल तक पानी पहुंचाया। दमकलकर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मेहनत और 10 हजार लीटर पानी की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पाया। धमाके के कारण फ्लैट में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है।

फायर सिस्टम पर था ताला

आग लगने की घटना ने लापरवाही की भी पोल खोल दी है। बिल्डिंग में फायर सिस्टम तो लगा हुआ था, लेकिन यहां ताला जड़ा था। रहवासी चाह कर भी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। रहवासियों ने भी आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड सिस्टम में लगे ताले को खोलने की मांग की है।

विधायक भी पहुंचे

घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक रमेश मेंदोला भी घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर मौजूद आईडीए सीईओ और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी एक्ट का पालन करते हुए फायर सेफ्टी उपकरण लगाकर नियमित जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचा जा सके और ऐसी घटना होने पर तत्काल राहत और बचाव काम संभव हो सके।

अम्बेडकर जयंती को लेकर भाजपा का सफाई अभियान।

अमेजन के रिटर्न पार्सल में कर्मचारियों ने

हेराफेरी कर लगाया 11 लाख का चूना, दो के खिलाफ केस दर्ज

इन्दौर । पार्सल के महंगे सामान को कम कीमत के दूसरे सामान से रिप्लेस कर कंपनी को लाखों का चूना लगाने वाले उसके दो कर्मचारियों के खिलाफ कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार एनटेक्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में सीनियर लायजनिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत नीरज जायसवाल ने पुलिस को दर्ज शिकायत में बताया कि उनकी कंपनी अमेजन की अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर है। दीपक मोहरे निवासी पालदा जो कि कंपनी में सुपरवाइजर और प्रवीण सिंह निवासी जालोर, राजस्थान जो कि डिलीवरी बॉय के पद पर सितंबर 2024 से जनवरी 2026 तक कार्यरत थे। इन्होंने ग्राहक द्वारा पार्सल न लेने पर जो सामान वापस भेजा आया उसमें हेराफेरी की। जब कंपनी ने पार्सल चेक किए तो उनमें ओरिजिनल सामान नहीं मिला। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी डिलीवरी के दौरान सामान बदल देते थे और बाद में उसे ग्राहक द्वारा लौटाया गया बताकर कंपनी को धोखा देते थे।इस तरह इन्होंने करीब 10 लाख 90 हजार रुपए के माल की हेराफेरी की।

जीआरपी ने दो मोबाइल चोरों को पकड़ा

इन्दौर । कल दो रेल यात्रियों के मोबाइल और पर्स चोरी होने की शिकायत दर्ज होने के बाद एक्शन मोड में आई जीआरपी ने ट्रेन यात्रियों का सामान चुराने वाली एक अंतरप्रांतीय गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हजारों का माल बरामद किया।

ज्योति शर्मा डीएसपी इन्दौर जीआरपी के अनुसार टीम ने पहले अंतरराज्यीय गैंग के सदस्य जमाल रेजा निवासी बिहार को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर आशु कौशिक निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आशु ने बताया कि 28 फरवरी को उसने मयूर विहार नई दिल्ली के गोपाल गुप्ता का मोबाइल कीमत 72000 का चुराया था। वहीं जमाल रेजा ने 12 अप्रैल को रेलवे स्टेशन के मुसाफिरखाने से नीमच के ओमप्रकाश मेघवाल का कीमती मोबाइल चुरा लिया था। डीएसपी के अनुसार चोर आशु पर धोखाधड़ी और चोरी के 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पूछताछ में इन्होंने इंदौर, उज्जैन, नागदा और कुछ बड़े शहरों में वारदात करना स्वीकार किया है। इनके नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। टीम ने फिलहाल इनसे पांच मोबाइल एवं चोरी का सामान बरामद किया गया। जीआरपी टीम ने साइबर सेल की मदद से इन चोरों को पकड़ने में सफलता पाई है।

यातायात के चारो जोन के प्रमुख मुख्य मार्ग, चौराहो की सघन निगरानी

ड्रोन से एनाउंसमेंट और उल्लंघन करने वालो पर हुई कार्यवाही

इंदौर (नगर संवाददाता)। पुलिस उपायुक्त (प्रभारी यातायात) राजेश कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीकों का उपयोग निरंतर बढ़ाया जा रहा है। ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से शहर के प्रमुख चौराहों एवं मुख्य मार्गों पर पिक आवर्स के दौरान प्रभावी निगरानी की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ड्रोन से प्राप्त इनपुट के आधार पर मौके पर तैनात यातायात पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन सर्विलांस के दायरे को और अधिक विस्तारित करने के लिए यातायात के चारों जोनों में अलग-

अलग ड्रोन सर्विस टीमों का गठन किया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में पिक आवर्स के दौरान ड्रोन के माध्यम से यातायात व्यवस्था की निगरानी की गई।

टीम 1 राजवाड़ा क्षेत्र - जवाहरमार्ग, खजूरी बाजार, राजवाड़ा, सराफा क्षेत्र, टीम 2- संजयसेतु, नंदलालपुरा, मृगनयनी क्षेत्र, टीम 3-पलासिया, घण्टाघर, एमजीरोड, आरएनटी, इंडस्ट्रीज हाउस, गिटार तिराहा मार्ग, टीम 4 - स्टार चौराहा, रेडिसन, विजयनगर क्षेत्र, ड्रोन में लगें पीए सिस्टम द्वारा अनाउंसमेंट भी किए गए, जिससे आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके। ड्रोन सर्विलांस टीम द्वारा जहां कहीं भी यातायात बाधित पाया गया, वहां से तत्काल वायरलेस के माध्यम से कंट्रोल रूम को सूचना प्रेषित की गई। कंट्रोल रूम द्वारा नजदीकी ट्रैफिक पॉइंट को सूचित कर त्वरित रूप से यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया गया। आगामी समय में भी यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों एवं चौराहों को चिन्हित कर ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाएगी।

विवाद के बाद फायरिंग, फिर चाकू से हमला

चाय -चौकी कैफे में हुई घटना, दो आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश

इंदौर (नगर संवाददाता)। चाय-चौकी कैफे में पुराने विवाद के राजीनामा के लिए दो गुट मिले। इसी दौरान इनके बीच फिर विवादहो गया। एक आरोपी ने पिस्टल निकालकर तीन फायर कर दिए,चाकूबाजी की घटना भी हुई जिसमें एक घायल हो गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, एक की तलाश की जा रही है। दोनों आरोपी पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में घायल भी हुए हैं। घटना बीती रात स्कीम नंबर 78 स्थित चाय चौकी कैफे की है। दोनों गुट पुराने झगड़े को सुलझाने के लिए मिले थे। बातचीत के दौरान शराब के पैसे को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया इसके बाद फायरिंग और चाकूबाजी की वारदात भी हो गई। ऋभव राजपुत ने पुलिस को बताया कि आर्यन पटेल और निखिल उर्फ हैनी ने उससे शराब के लिए पैसे मांगे। मना करने पर गाली-गलौज शुरू कर दी ,आर्यन ने चाकू से हमला कर दिया। आर्यन का आरोप है कि ऋभव ने पहले हमला किया और फिर अपनी एक्टिवा से पिस्टल निकालकर जान से मारने की नीयत से 2-3 फायर कर दिए। लसूड़िया थाना प्रभारी तांरेश सोनी के मुताबिक, दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने ऋभव और आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि निखिल उर्फ हैनी फरार है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल कहां से लाई गई थी।

पत्नी को बेल्ट से पीटा

इंदौर। चंदननगर पुलिस ने खेड़ा पुरे निवासी रामानंद नगर की रिपोर्ट पर पति सुशील पुरे के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। पत्नी से उसने गाड़ी लाने के लिए कहा था। इसी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया था और पति ने बेल्ट से उसे पीट दिया और घर से निकाल दिया। कहा कि जब तक तू गाड़ी नहीं लाएगी रखेंगे नहीं।

पिता-पुत्र ने फोड़ दी कार

इंदौर (नगर संवाददाता)। मोटरसाइकिल हटाने जैसी छोटी सी बात पर पिता-पुत्र ने एक युवक के घर पहुंचकर हंगामा किया और कार में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पिता और पुत्र दोनों को आरोपी बनाया है। गांधी नगर पुलिस के अनुसार, फरियादी जितेन्द्र उर्फ गोलू पिता बाबूलाल चौरसिया निवासी अरिहंत नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपनी कार निकालने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में आरोपी अनिकेत यादव की मोटरसाइकिल खड़ी थी। जितेन्द्र ने विनम्रता से अनिकेत से कहा कि अपनी मोटर सायकल को थोड़ा पीछे कर लो ताकि मैं अपनी कार निकाल सकूं। इतनी सी बात पर अनिकेत भड़क गया और सरेराह गालियां देने लगा।विवाद से बचने के लिए जितेन्द्र वहां से चुपचाप अपने घर चले गए। लेकिन कुछ देर बाद आरोपी अनिकेत यादव अपने पिता संतोष यादव को लेकर जितेन्द्र के घर पहुंच गया। दोनों आरोपियों ने घर के बाहर खड़े होकर जमकर उत्पात मचाया और गालियां दीं। आक्रोश में आकर अनिकेत ने जितेन्द्र की कार के सामने और साइड के कांच फोड़कर काफी नुकसान पहुँचाया।पीड़िता का आरोप है कि तोड़फोड़ करने के बाद दोनों पिता-पुत्र ने उसे धमकाते हुए कहा कि आज के बाद हमारी मोटर सायकल रोकने की बात की, तो तुझे जान से खत्म कर देंगे।

डॉक्टर के घर चोरी में नौकरों पर शक

इंदौर (नगर संवाददाता)। विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर के घर से दो सोने की चेन चोरी हो गई। मामले में नौकरों पर शक जताते हुए केस दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, फरियादी डॉक्टर ज्योति पति शौनक घोड़के निवासी स्कीम नंबर 54 ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी सासू मां प्रेमिला घोड़के ने गत 25 मार्च की शाम को अपने गले से सोने की एक चेन उतारकर अपने कमरे की अलमारी की दराज में रखी थी। उस दराज में उनकी एक अन्य सोने की चेन पहले से ही रखी हुई थी।घटना का खुलासा 1 अप्रैल की शाम को हुआ, जब सासू मां ने किसी काम से चेन पहनने के लिए दराज खोली। दराज में रखी दोनों चेन गायब थी। परिवार ने जब आपस में पूछताछ की, तो किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इसके बाद घर में काम करने वाले सभी नौकरों से भी पूछताछ की गई, लेकिन सभी ने जेवरात के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की।फरियादी डॉ. ज्योति ने पुलिस को बताया कि उन्हें पूरा संदेह है कि घर की दराज से सोने की दोनों चेन उनके यहां काम करने वाले नौकरों में से ही किसी ने चोरी की है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (डॉ. विकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)
(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र. जी 11)
इन्दौर, दिनांक 31-03-2026
क्रमांक/1443/अकरी-2026 प्रकरण क्र./0620/ब-121/2025-2026

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,
1. श्री सीताराम कंकरवाल
2. श्रीमती कलावती पति सीताराम
पता 1 :- 120 अ-2 स्कीम नं. 78 विजय नगर इंदौर तहसील व जिला इंदौर 452010
पता 2:- सर्वे नं. 225, 227/1 ब्लॉक नं. डी, फ्लेट नं. 203 सेकंड फ्लोर साई ओरचिड रेसीडेंसी सेटेलाईज जंक्शन इंदौर ग्राम कैलोदहाला तहसील व जिला इंदौर

द्वारा:- पेपर प्रकाशन।

प्राधिकृत अधिकारी, बंधक बैंक लिमिटेड शाखा का पता:- 304-305 बी एम टावर, लोटस शो रूम के सामने, सपना संगीता रोड इंदौर 452001 द्वारा आवेदन कर निवेदन किया गया है कि बंधक संपत्ति सर्वे नं. 225, 227/1 ब्लोक नं. डी, फ्लेट नं. 203 सेकंड फ्लोर साई ओरचिड रेसीडेंसी सेटेलाईज जंक्शन इंदौर ग्राम कैलोदहाला तहसील व जिला इंदौर पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूमि संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी-11 में दिनांक 15.04.2026 को दोपहर 03:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)